



डॉ.अंबेडकर के सपनों का समतामूलक भारत

डॉ.रमेश चंद बैरवा

सह आचार्य,राजनीति विज्ञान

बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय,अलवर

भारत रत्न,संविधान निर्माता,दलित मसीहा,महिला मुक्ति के प्रबल समर्थक तथा मज़दूर-किसान के सच्चे हितैषी,अर्थशास्त्री एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री बाबा साहेब डॉ.भीमराव अंबेडकर भी ऐसे ही इंसान थे। बाबा साहेब ने स्वयं कहा है कि "जो संघर्ष करते हैं यश उनका ही वरण करता है।" बाबा साहेब ने जाति उत्पीड़न एवं आर्थिक कठिनाइयों का डटकर सामना करते हुए उच्च स्तर की शिक्षा हासिल की तथा भारत में जातिविहीन,शोषण मुक्त, समतामूलक समाज के सपने को साकार करने के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। उन्होंने अपने अनुयायियों को यूरोप के समाजवादी एवं कम्युनिस्ट आंदोलन में लोकप्रिय बन चुके 'शिक्षित बनो,संघर्ष करो,संगठित रहो' का प्रसिद्ध नारा देकर समतामूलक समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्वेलित किया।

अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्यप्रदेश की महु सैन्य छावनी में हुआ,जहां उनके नाम पर एक प्रसिद्ध सामाजिक शोध संस्थान है। अम्बेडकर के पिता रामजी सकपाल फौज में सूबेदार एवं विचारों से कबीरपंथी थे। अंबेडकर की माता का नाम भीमा बाई था। अम्बेडकर उनके माता पिता की चौदहवीं संतान थे। बाबा साहेब की उम्र छह वर्ष की ही थी कि उनकी माँ का देहांत हो गया। उसके बाद उनका पालन पोषण उनकी बुआ मीराबाई ने किया। फौज से रिटायर होने के उपरांत अम्बेडकर का परिवार अपने पैतृक गांव अम्बावाड़े आ गया। लेकिन ऊंचनीच के कारण अंबेडकर को यहां के स्कूल में दाखिला नहीं मिल सका। इसलिए परिवार मजबूरन मुंबई आ बसा। अंबेडकर को यहां भी छुआछूत व ऊंचनीच के प्रहारों को झेलना पड़ा। उनके सिर के बाल काटने को कोई हजाम तैयार नहीं होता था। इसलिए उनकी बहन उनके बाल काटती थी। एक बार स्कूल में उन्हें ब्लैकबोर्ड पर एक सवाल हल करने को बुलाया तो अन्य विद्यार्थियों ने उनका बहुत उपहास किया।



असल में अम्बेडकर का तालुक महाराष्ट्र के उस कट्टर जातिवादी समाज से था, जहां जाति के आधार पर दलितों के खिलाफ अत्याचार चरम पर थे। दलित (अछूत) जब सड़कों पर चलते थे तो उन्हें अपने गले में एक बर्तन और कमर पर पेड़ की झाड़ूनुमा टहनी बांधकर चलना पड़ता था ताकि उनके थूक एवं पैरों से सड़कें अपवित्र ना हो जाए। यदि किसी ने भूलवश इसका पालन नहीं किया तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। जाति के आधार पर असहनीय एवं घोर अमानवीय अत्याचारों के बीच भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ। अंग्रेजी शासन ने एक और जहां जाति आधारित पुरानी जीवन शैली के 'ग्राम स्वराज्य' वाले भारतीय सामंती-रूढ़िवादी समाज की जड़ों को कमजोर किया तो दूसरी ओर भारत में पाश्चात्य जीवन शैली के पूंजीवादी समाज के लिए आवश्यक जमीन तैयार की। इसी का परिणाम था कि आमजन के लिए भी शिक्षा एवं समाज सुधार के लिए प्रयास हुए। महात्मा जोतिराव फुले ने यह काम बहुत मजबूती से महाराष्ट्र में किया। बाबा साहेब पर महात्मा बुद्ध, कबीर एवं फुले के विचारों का बहुत असर था। फुले को वे अपना वैचारिक गुरु मानते थे।

भारत को समतामूलक बनाने के लिए अंबेडकर जाति एवं जेंडर आधारित सामाजिक भेदभाव एवं उत्पीड़न का अंत चाहते थे तथा यह भी चाहते थे कि आर्थिक विषमता नहीं हो। उन्होंने जातिगत छुआछूत एवं भेदभाव के खिलाफ महाड़ सत्याग्रह, मनुस्मृति दहन जैसे कई आंदोलन किये। वे जाति का समूल अंत चाहते थे। जाति को राष्ट्र एवं लोकतंत्र के लिए खतरा मानते थे। इस बारे में अम्बेडकर के विचार 'एनिहिलेशन ऑफ कास्ट' नामक उनकी प्रसिद्ध रचना में प्रकाशित हैं। अम्बेडकर कहते थे कि भारत में सिर्फ 'डिवीजन ऑफ लेबर' ही नहीं है बल्कि 'डिवीजन ऑफ लेबरर्स' अर्थात् श्रमिकों का जाति आधारित विभाजन भी है। अम्बेडकर चाहते थे कि दलित पैतृक धंधे छोड़कर नौकरियां करें। अंबेडकर ने कहा कि दो तत्वों पर हिंदू समाज की पुनर्रचना होनी चाहिए- एक समता और दूसरा, जाति विहीन समाज। हिंदू समाज में सहभोज, अंतरजातीय विवाह अर्थात् रोटी-बेटी का रिश्ता होना चाहिए। मंदिर प्रवेश तो अस्पृश्यता निवारण की पहली सीढ़ी है। अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने स्वयं भी अंतरजातीय विवाह किया था। लेकिन आजकल ऐसे भी उदाहरण हैं कि कुछ संस्थाएं पांडाल तो सर्वजातीय विवाह सम्मेलन का लगाती हैं, लेकिन विवाह के जोड़े होते हैं स्वजातीय! इसलिए हम तो कहते हैं कि ना 'स्वजातीय' और ना ही 'सर्वजातीय', हम तो चाहते हैं विवाह हो ज्यादा से ज्यादा अंतरजातीय!



अम्बेडकर का यह भी पुरजोर मानना था कि जो समाज अपनी महिलाओं को पीछे छोड़ देता है, वह समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। अंबेडकर ने महिला शिक्षा एवं स्वतंत्रता पर खासा जोर दिया। हिन्दू समाज की महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा दिला कर महिलाओं की स्थिति को उन्नत करने के लिए डॉ.अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल तैयार किया, जो कांग्रेस के दक्षिण पंथी खेमे के दबाव के चलते पारित नहीं हो सका।

1938 में मिल मजदूरों के हितों के लिए बाबा साहेब ने कम्युनिस्टों के साथ मिलकर आंदोलन किया। पूंजी और पूंजीपति में अंतर बताते हुए बाबा साहेब ने कहा कि "देश में पूंजी तो बढ़नी चाहिए, मगर पूंजीपति नहीं।" डॉ.अंबेडकर ने 'ब्राह्मणवाद' एवं 'पूंजीवाद' दोनों को गरीब एवं दलितों का मुख्य दुश्मन बताया। लेकिन ब्राह्मणवाद से अम्बेडकर का तात्पर्य जाति से किसी व्यक्ति के ब्राह्मण परिवार में पैदा होने से नहीं था। बल्कि एक ऐसी विचारधारा में यकीन करने से था जो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के मूल्यों को नकारती है। ऐसा व्यक्ति चाहे गैर ब्राह्मण ही क्यों ना हो!

'राज्य और अल्पसंख्यक: उनके अधिकार क्या हैं और उन्हें स्वतंत्र भारत के संविधान में कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है' विषय पर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ की ओर से संविधान सभा में डॉ.अंबेडकर द्वारा 1947 में प्रस्तुत किया गए अनुसूचित जातियों के सुरक्षा उपायों से संबंधित ज्ञापन के जरिए डॉ.अम्बेडकर ने विस्तार से आर्थिक विचार प्रकट करते हुए दलितों एवं मेहनतकशों के आर्थिक विकास के लिए कृषि, बीमा, उद्योग सहित 'आर्थिक जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राजकीय समाजवाद' अपनाने पर जोर दिया। डॉ.अंबेडकर ने लिखा है कि "भारत का तेजी से उद्योगीकरण करने के लिए राजकीय समाजवाद अनिवार्य है। निजी उद्यम ऐसा नहीं कर सकता और यदि कर सकता है तो वह भी संपदा की विषमताओं को जन्म देगा, जो पूंजीवाद ने यूरोप में पैदा की है और जो भारतीयों के लिए एक चेतावनी होगी।"

डॉ.अंबेडकर ने यह भी कहा है कि भूखे, गरीब एवं बेरोजगार व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार एवं स्वाधीनता का कोई खास मतलब नहीं है। यदि उसकी मौलिक जरूरतें ही सरकार द्वारा पूरी नहीं की जाएं। अंबेडकर लिखते हैं कि राज्य के हस्तक्षेप के बिना स्वाधीनता की बात करना आमजन के लिए कोरी कल्पना है क्योंकि यह स्वाधीनता असल में "जमींदारों को लगान बढ़ाने, पूंजीपतियों को कार्य के घंटे बढ़ाने और मजदूरी घटाने की स्वाधीनता है।" असल में अम्बेडकर की चिंता थी कि 'जिसे राज्य के नियंत्रण से मुक्ति कहते हैं, वही प्राइवेट नियोजक के एकाधिकार का दूसरा नाम है।"



संविधान तैयार हो जाने पर बाबा साहेब डॉ.अम्बेडकर ने संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 के दिन अपने समापन भाषण में जोर देते हुए कहा है कि दलित एवं अन्य वंचित वर्ग की प्रगति एवं समतामूलक भारत के निर्माण के लिए सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र भी बेहद जरूरी है। अर्थात जाति एवं जेंडर आधारित भेदभाव एवं उत्पीड़न भी दूर किया जाए। आर्थिक विषमता कम की जाए। साथ ही राजनीति में नायक पूजा का भी कड़ा विरोध किया है। डॉ.अम्बेडकर ने कहा है कि "धर्म में भक्ति,आत्मा के उद्धार का मार्ग हो सकती है। लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक की पूजा,पतन और अंततः तानाशाही के लिए एक निश्चित मार्ग सुनिश्चित करती है।" साथ ही उन्होंने राजनीतिक प्रजातंत्र को सामाजिक प्रजातंत्र बनाने पर जोर दिया। एक ऐसा सामाजिक प्रजातंत्र जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है।

गौरतलब है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना सहित शासक दलों के नेताओं के भाषणों में स्वतंत्रता, समानता,सामाजिक न्याय, समाजवाद एवं लोकतंत्र की बातें तो जमकर होती रही हैं। 'आम आदमी' के नाम की सरकार चली। 'अच्छे दिन' लाने का वादा वाली भी सरकार चल रही है। लेकिन हकीकत में स्थिति आज भी बहुत अच्छी नहीं है। इसीलिए हम आज तक भी बाबा साहेब के सपनों का समतामूलक भारत नहीं बना पाए। क्योंकि अपने समय के बेहतरीन अर्थशास्त्री रहे डॉ.अम्बेडकर की नीतिगत सलाह की घोर अनदेखी कर 1947 से ही भारत में 'राज्य समाजवाद' के स्थान पर 'राज्य पूंजीवाद' (जिसे 'बुर्जुआ सोशलिज़्म' भी कहा गया है) की अर्थनीति लागू की गई। यह नीति 1990 तक चली। 1991 से पूंजीवादी वैश्वीकरण की नीतियों के कारण उच्च तकनीकी का इस्तेमाल कर प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों के बेरहमी से दोहन कर भारत में भी आर्थिक वृद्धि दर तो जरूर तेज रही है लेकिन यह असमान एवं असंतुलित रही है। उच्च आर्थिक वृद्धि दर का लाभ आमजन को नहीं मिला। अर्थात "बड़ा भया तो क्या भया,जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं,फल लागे अति दूर' कहावत वाली स्थिति रही है।

आर्थिक दृष्टि से तो भारत का स्थान दुनिया में पांचवा है लेकिन मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से देखा जाए तो भारत 189 देशों की सूची में 131वें पायदान पर है! वैश्विक भूख सूचकांक 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 107 देशों की सूची में भारत का स्थान 94वां है! इंडिया में दुनिया के एक तिहाई गरीब रहते हैं। आधी आबादी को आज भी खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। आर्थिक विषमता विकराल रूप ले चुकी है। विश्व प्रसिद्ध सामाजिक संस्था 'ऑक्सफैम इंटरनेशनल' की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक आलम यह है कि



पूँजीवाद की नीतियों के कारण भारत में दस प्रतिशत सबसे धनाढ्य तबका देश की 77 प्रतिशत दौलत का मालिक बन चुका है। भारत में अरबपतियों की संख्या 2009 में जो सिर्फ 9 थी, 2019 में बढ़कर यह 119 हो गई है।

सामाजिक लोकतंत्र, जिस पर डॉ. अम्बेडकर ने बहुत जोर दिया था, यह भी ठीक से कायम नहीं हो पाया क्योंकि दलित एवं महिलाओं के हालात आज भी ठीक नहीं हैं। देश आजाद हुए एवं संविधान लागू हुए 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, फिर भी इनके खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2007-2017 में दलित उत्पीड़न के मामलों में 66 फीसदी का इजाफा हुआ। देश में रोजाना छह दलित महिलाओं से दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए। भारत में हर 15 मिनट में दलितों के साथ आपराधिक घटनाएं हुईं। दलितों के खिलाफ अपराध 2017 में 43203 से बढ़कर 2019 में यह संख्या 45935 हो गई है। राजस्थान में 2017 में यह संख्या 4238 थी, जो 2019 में बढ़कर 6794 हो गई। दलित उत्पीड़न में राजस्थान तीसरे स्थान पर है।

दलित युवकों की पिटाई, दलित महिलाओं के साथ रेप, दलितों के मंदिर में घुसने पर रोक, जातिगत उत्पीड़न और भेदभाव की खबरें अब नई नहीं लगतीं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप और हत्या, थानागाजी गैंगरेप, ऊना में दलित युवकों को गाड़ी से घसीटकर बेरहमी से की गई जानलेवा पिटाई की घटना, डांगवासा हिंसा, रोहित वेमुला की संस्थागत आत्महत्या, भीमा कोरेगांव, डॉ. पायल तड़वी की आत्महत्या की घटनाएं यह बताते हैं कि दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले कम होने के बजाय बढ़े हैं। दलित वर्ग अपनी सुरक्षा, स्वतंत्रता एवं सम्मान के लिए आज भी संघर्षरत है। एनसीआरबी के साल 2019 के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जातियों के साथ अपराध के मामलों में साल 2019 में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एनसीआरबी के साल 2019 के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध की संख्या राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2017 में 359849 थी, जो 2019 में बढ़कर 405861 हो गई अर्थात् 46012 अपराध की वृद्धि दर्ज की गई। इसी दौरान राजस्थान में यह संख्या 25993 से बढ़कर 41550 हो गई अर्थात् 15557 अपराध बढ़े।

जातिविहीन, समतामूलक समाज के सपने को साकार करने के लिए डॉ. अम्बेडकर ने जाति के समूल अंत के साथ-साथ समाजवादी अर्थनीति अपनाने पर जोर दिया। लेकिन बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर का सपना ठीक से साकार नहीं हो सका। यह इसलिए कि संविधान में तो बातें बहुत अच्छी लिखी हुई है। शासक दलों के नेताओं ने चुनाव जीतने के



लिए अत्यंत आकर्षक नारे एवं वादों के साथ चुनावी घोषणा पत्र भी बनाये हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो सका। क्योंकि वादा समाजवाद लाने का किया, काम हुआ पूंजीवाद के पोषण का। नाम लिया आम आदमी का, जबकि काम हुआ खास आदमी का। अच्छे दिन आये लेकिन आम आदमी के नहीं बल्कि अम्बानी-अडानी जैसे खास आदमी के। दलितों को सरकार एवं सेवाओं में भागीदारी तो मिली, लेकिन अम्बेडकर की इच्छा के मुताबिक दलित नेतृत्व ने जाति का समूल अंत कर जातिविहीन समाज के लिए संघर्ष के एजेंडा का ही परित्याग कर दिया। दलित संगठनों ने ही अंतरजातीय विवाह के एजेंडे से मुहंमोड़ स्वजातीय विवाह तक अपने आपको सीमित कर लिया है।

दलित नेतृत्व का वर्ग चरित्र अधिकांशतः आमजन उन्मुख नहीं बल्कि मध्यमवर्गीय रहा है। इसलिए दलित नेतृत्व ने आर्थिक क्षेत्र में हावी हो रहे पूंजीवाद के प्रति उदासीन रवैया रखा। "यदि आप सामने वाले को पराजित नहीं कर सकते हैं तो उसका अनुकरण कर लीजिए" वाले पराजय भाव के कारण दलित नेतृत्व ने पहले तो अर्थव्यवस्था का निजीकरण होने दिया, फिर निजी क्षेत्र में भागीदारी की मांग करने लगा! शोषित, पीड़ित, मेहनतकश एवं मध्यम वर्ग का साझा संघर्ष एवं साझा विरोध कमजोर पड़ जाने से क्रोनी कैपिटलिज्म तेजी से पनपता गया। गौरतलब है कि क्रोनी कैपिटलिज्म की व्यवस्था में मुक्त बाजार के सिद्धान्त को तिलांजलि देकर सरकार के चहते कुछ गिने चुने उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया जाता है। क्रोनी कैपिटलिज्म ने जाति एवं धर्म की पहचान आधारित नफरत एवं विभाजन की राजनीति को भी पनपाया है, ताकि क्रोनी कैपिटलिज्म को साझा चुनौती नहीं मिल सके।

क्रोनी कैपिटलिज्म के कारण वर्तमान दौर में आर्थिक विषमता के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी विषमता तेजी से बढ़ रही है। शिक्षा के निजीकरण की मार सबसे ज्यादा दलित एवं पिछड़े वर्ग पर पड़ रही है। बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी एवं आर्थिक विषमता, कुपोषण, महंगी शिक्षा, महंगे स्वास्थ्य जैसी जन समस्याओं से यही वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है। इन तबकों के ज्यादातर लोग गरीब हैं। अवसरों की कानूनी समानता तो है लेकिन गरीबी और अन्य विवशताओं के कारण बड़ी संख्या में दलित एवं वंचित वर्ग के बच्चे स्कूल छोड़ने पर आज भी मजबूर हैं। दलित स्त्रियों की सामाजिक स्थिति तो और भी बदतर है। राजनीति में बढ़ते धनबल एवं बाहुबल तथा जाति मानसिकता के कारण सामाजिक बदलाव ठहर सा गया है। संविधान एवं लोकतंत्र खतरे में हैं। दलित एवं महिला उत्पीड़न बढ़ता ही जा रहा है। मजदूर, किसान एवं मध्यम वर्ग परेशान हैं। बाबा साहेब का मानना था कि अपराधी और भ्रष्ट लोग सामाजिक बदलाव नहीं ला सकते। लोकतंत्र में पूंजी



के बढ़ते वर्चस्व के प्रति आगाह करते हुए बाबा साहेब ने कहा था कि "अगर प्रजातंत्र की बागडोर पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी तो, आम आदमी को गुलामी में ही जीना पड़ेगा।"

वर्तमान समय में जब संसद से लेकर ग्राम पंचायत में धनाढ्य वर्ग का बोलबाला बढ़ता ही जा रहा है। समाजवाद के स्थान पर पूंजीवाद फल फूल रहा है। आम आदमी के नाम पर खास आदमी का काम होता है। दलित एवं पिछड़े तबकों की राजनैतिक पार्टियों तक में भी नवधनाढ्य, भूमाफिया एवं अपराधी तत्व हावी हैं। सांप्रदायिकता व जातिवाद बढ़ा है, तो ऐसे में हम बाबा साहेब के सपनों का समतामूलक भारत कैसे बना सकते हैं? बाबा साहेब के सपनों का समतामूलक भारत बनाने के लिए अत्यंत ज़रूरी है कि शिक्षित बनकर, संगठित होकर क्रोनी कैपिटलिज्म का, जाति एवं जेंडर आधारित सामाजिक भेदभाव एवं उत्पीड़न का, धर्म के नाम नफरत व हिंसा जैसी बुराइयों के खिलाफ साझा संघर्ष करने का दृढ़ संकल्प लें। बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

संदर्भ सूची:

- बी आर अम्बेडकर, राज्य और अल्पसंख्यक: उनके अधिकार क्या हैं और उन्हें स्वतंत्र भारत के संविधान में कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है
- नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 'क्राइम इन इंडिया 2020
- Oxfam International Report 2020